

Functions of district level coordination committee

- 1- To ensure implementation of government orders/resolutions related to gdp
- 2- To ensure inter departmental coordination at the sub-district and district levels
- 3- To ensure convergence of schemes and resources- MGNREGA and SBM in particular
- 4- To decide on the demarcation of gp clusters if required as part of the master guidelines
- 5- To coordinate the environment generation activities and media plan at the district level
- 6- To respond to issues from the field and undertake troubleshooting and crisis management as required
- 7- To ensure that necessary human resources required for gdp processes are available as required in all gps and clear cut responsibilities are fixed
- 8- To coordinate capacity building of all concerned
- 9- To ensure availability, gp wise, of secondary data relevant to gdp as per the state guidelines
- 10- To ensure timely coordination of technical appraisal and approval of projects
- 11- To monitor and steer the entire gdp process at the district level
- 12- To monitor the implementation of the gdp
- 13- To report and provide feedback to the ec on the status of gdp in the district, on issues and on best practices

जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति के कार्य

1. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित शासकीय आदेशों/प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराना।
2. जिला एवं खण्ड स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित कराना।
3. विभिन्न योजनाओं विशेषतः मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित कराना।
4. ग्राम पंचायत समूहों के सीमांकन को यथावश्यक मुख्य दिशा-निर्देशों के अंश के रूप में निर्धारित करना।
5. जिला स्तर पर वातावरण निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों तथा मीडिया योजना के मध्य समन्वयन स्थापित कराना।
6. क्षेत्रीय के मुद्दों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, आवश्यकता के अनुरूप समस्या का निवारण और संकट प्रबंधन करना।
7. ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उनकी स्पष्ट जिम्मेदारियाँ तय करना।
8. सभी संबंधित पक्षों का क्षमता निर्माण।
9. राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए उपयोगी ग्राम पंचायतों के सभी सहायक आंकड़ों (**Secondary Data**) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. तकनीकी मूल्यांकन और परियोजनाओं के अनुमोदन के मध्य समय से समन्वयन सुनिश्चित करना।
11. ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया का जिला स्तर से अनुश्रवण व मूल्यांकन करना।
12. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।
13. जनपद में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, उससे जुड़े मुद्दों तथा सर्वोत्तम प्रयासों पर मूल्यांकन समिति को रिपोर्ट और राय देना।